न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 260 / 2014

उनवान

लल्लूराम पुत्र हनुमान, जाति जाट, निवासी रेल्वे स्टेशन रोड, चौपड़ो की ढाणी, वार्ड नम्बर 4, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

1. हरनाथ पुत्र श्री रूडाराम
2. गोपाल पुत्र श्री हरनाथ
3. जगदीश पुत्र हरनाथ
4. पप्पू पुत्र हरनाथ
5. राजू पुत्र हरनाथ
6. बाबूलाल पुत्र गोपाल
7. मघाराम पुत्र स्व0 श्री मुकन्दाराम
8. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री मुकन्दाराम
9. कैलाश पुत्र श्री बाबूलाल
10. विनोद पुत्र श्री बाबूलाल
11. रतन पुत्र स्व0 श्री मदनलाल
12. कालूराम पुत्र श्री मघाराम
13. शंकर पुत्र मघाराम
14. बनवारी पुत्र मघाराम
15. नन्छूराम पुत्र मालूराम
16. दानाराम पुत्र मालूराम
17. सुरेश पुत्र जगदीश
18. मालू पुत्र कजोड़
    समस्त जाति जाट, निवासी रेल्वे स्टेशन रोड, चौपडों की ढाणी, वार्ड नम्बर 4 कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके कस्बा चौमूं पटवार हल्का चौमूं, तहसील चौमूं स्थित हाल खाता संख्या 1032 में वर्णित खसरा नम्बर 5157 रकबा 1.21 है0 व खसरा नम्बर 5174 रकबा 0.91 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.12 है0 स्थित है। जो इस वाद पत्र में विवादग्रस्त है जिसे वाद पत्र के के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विवादग्रस्त आराजी हाल खाता संख्या 1032 में वर्णित खसरा नम्बर 5157 रकबा 1.21 है0 व खसरा नम्बर 5174 रकबा 0.91 है0 सम्पूर्ण ही वादी के स्वामित्व एवं मालिकाना हक अधिकारों की खातेदारी भूमि है।

वादी अपनी उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कर रहा है तथा सुरक्षा की दृष्टि से वादी द्वारा उक्त आराजीयात पर तारबन्दी भी कर रखी है।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 विवादित आराजी के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 वादी की भूमि के पडौसी काश्तकार है जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 आये दिन बिना वजह वैमनस्य के कारण विवादग्रस्त भूमि को हडप करने व उस पर जबरिया रास्ता निकालने पर आमदा रहते है तथा नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से सींव डोल में तोड फोड करते रहते है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते रहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों की मदद से दिनांक 12.09.2019 को विवादित सम्पत्ति पर आकर वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की विवादित भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करने का प्रयत्न किया गया तथा वादी की भूमि में से बिना कोई रास्ता हुये ही जबरिया रास्ता निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 द्वारा वादी को एहलनियां धमकी दी गई कि वह शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी की खातेदारी भूमि में से रास्ता निकालेंगें व वादी को बेदखल कर देंगे तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिसमें यदि वादी ने कोई आपति की तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, जिस कारण वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 17 विवादित आराजी के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नही करें, ना ही विवादित आराजी पर बनी पुख्ता तारबन्दी को तोड़े, ना ही उसे खुर्द–बुर्द करें, ना ही विवादित आराजी पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें, ना ही विवादित आराजी की सींव डोल में ही तोड–फोड करें, ना ही वादी की खातेदारी भूमि में से जबरिया कोई रास्ता निकालें अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 विवादग्रस्त आराजी की यथावत स्थिति बनाये रखें तथा प्रतिवादीगण संख्या 18 वादी की खातेदारी भूमि में से जबरिया रास्ता नहीं निकालें। उपरोक्त समस्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 ना तो स्वयं करें ना हीं अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 1032 में वर्णित खसरा नम्बर 5157 रकबा 1.21 है0 व खसरा नम्बर 5174 रकबा 0.91 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.12 है0 कस्बा चौमूं पटवार हल्का चौमूं, तहसील चौमूं की प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों को प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 260 / 2014

उनवान

दिलीपसिंह पुत्र श्री भैंरूसिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी राठौडों की ढाणी, ग्राम धवली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––वादीगण

बनाम

20. प्रभातीलाल पुत्र श्री श्योबक्स
21. सुवालाल पुत्र श्योबक्स
22. रामकिशोर पुत्र श्योबक्स

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 1032 में वर्णित खसरा नम्बर 5157 रकबा 1.21 है0 व खसरा नम्बर 5174 रकबा 0.91 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.12 है0 कस्बा चौमूं पटवार हल्का चौमूं, तहसील चौमूं का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों को प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 28.11.2019 को जारी किया गया।

मोहर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोट:– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.29 15:07:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: